08/2017 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 8/2017 अनवानी अमीलाल पुत्र बिशनाराम जाति बिश्नोई निवासी 6 के.डी. तहसील घड़साना बनाम 1–बनवारीलाल पुत्र धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 के.डी.ए. तहसीलदार घड़साना 2–उपखण्ड अधिकारी घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2017

प्रार्थी श्री अमीलाल के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थी बनवारीलाल के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी श्री अमीलाल के अभिभाषकगण श्री जगमोहन आहूजा का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष श्री बनवारीलाल द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 22.12.2016 को इस कथन के साथ पेश किया कि चक 5 के.डी.ए. के मु0न0 171/57 की 25 बीघा भूमि दिनांक 18.09.2000 को आवंटन अधिकारी, अनूपगढ द्वारा विशेष आवंटन में आवंटन की गई और इसके पश्चात अमीलाल प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील की गयी। इस अपील के निर्णय दिनांक 25.05.2006 को माननीय राजस्व मण्डल में चुनोती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील सं0 34/2006 दिनांक 30.11.2015 को खारिज कर दी और जिसे माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में चुनोती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.16 को अपील सं0 14169 में आदेश पारित किया गया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा रिसीवर प्रकरण सं0 1163 में उपरोक्त भूमि का कब्जा दिनांक 18.03.13 को अमीलाल को देने के आदेश दिये गये थे तथा इस आदेश को प्रार्थी द्वारा चुनोती दी गई तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। जो दिनांक 05.12.16 को आदेश पारित करते हुए कब्जे के विषय में निर्णय किया जाना है जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.16 को यह स्पष्ट अंकित किया कि कब्जे के विषय में न्याय निर्णय किया जाना है जिस पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा 22.12.16 को अंकित किया गया कि अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा प्रार्थी ने दिनांक 09.01.17 को उपस्थित होकर वकील के माध्यम से हाजरी दी और आगामी तारीख पेशी 23.01.17 जबाब हेतु नियत की गई।

उनका आगे कथन है कि दिनांक 09.01.17 को पीठासीन अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि वह तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कब्जा दिलायेंगे जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 05.12.16 में कब्जा दिलाने का कोई आदेश नही दिया है बल्कि चार माह में सुनकर तय करने का आदेश दिया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवंटन आदेश 18.09.2000 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील सं0653/16, 654/16, 655/16 विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 30.01.16 नियत है। इस प्रकार बनवारीलाल के हक में पारित आदेश 17.09.05 दिनांक 21.09.04 को निरस्त कर दिया गया है जिस पर अभी सुनवाई होनी शेष है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार खड़ी फसल में कब्जा दिलाने का प्रावधान नही है केवल धारा 183 आरटीए में कार्यवाही कर बेदखल किया जा सकता है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी घड़साना राजनैतिक दबाब में होने के कारण बीच फसल में कब्जा दिलाने की कोशिश में है जबकि माननीय उच्च न्यायालय का कब्जा दिलाने का ऐसा कोई आदेश न होने के बावजूद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐलानिया कहना कि माननीय उच्च न्यायालय ने कब्जा दिलाने का आदेश दिया है जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई संभावना नही है। इसलिए उक्त प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी बनवारी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। उनका कथन है कि इस न्यायालय को संबंधित मामले के गुण दोष पर कोई विचार नही करना है केवल अधिनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने अथवा न किये जाने पर विचार किया जाना है। पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होना बताया है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। ऐसा आरोप कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिल के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्ण अभाव है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पेटीशन सं0 681/2013 बनवारीलाल बनाम स्टेट वगैरा व पेटीशन सं0 1163/2007 अमीलाल बनाम स्टेट वगैरा में पारित निर्णय 05.12.2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के तहत बनवारी लाल जो कि विवादग्रस्त भूमि का आवंटी है ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि का कब्जा के लिए प्रा0 पत्र पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को 4 माह में निस्तारण करने का आदेश है और विवादग्रस्त भूमि के संबंध में इसकी पेटीशन भी खारिज हो चुकी है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत ही कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्को पर विचार किया और उपखण्ड अधिकारी घड़साना की टिप्पणी सं0 180 दिनांक 24.01.2017 एवं पत्रावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 का भी अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी बनवारीलाल ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.16 के निर्देशो के तहत उसे आवंटित विवादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 22.12.16 को पेश किया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने सुनवाई के लिए प्रार्थी अमीलाल को भी उसके कथनानुसार नोटिस जारी किया गया है किन्तु प्रार्थी अमीलाल ने उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाकर अन्यत्र मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 184 व 183 आरटीए के प्रावधानो के बाहर जाकर कार्यवाही की जा रही है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के गुण दोष पर कोई विचार नही करना है। केवलमात्र यह तय करना है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को अन्यत्र मुन्तकिल किया जावे अथवा न किया जावे, इस पर विचार किया जाना है। इसलिए प्रार्थी का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

08/2017 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/3

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया है कि वे राजनैतिक दबाब में अप्रार्थी को कब्जा दिलाने का ऐलानिया कह रहे है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अप्रार्थी को कब्जा दिलाने का कोई आदेश नही है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर जो राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया गया है वह साधारण प्रकृति का है और मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। ऐसा आरोप कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

दूसरा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.16 से प्रतीत होता है कि संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के प्रा0 पत्र कार्यवाही हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसे प्रा0 पत्र पर सभी संबंधित पक्षो को सुनकर 4 माह में निस्तारण करने के अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये हुए है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्राथी का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निरस्त करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

526
6/3/2017

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञानाराम

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर